संशोधन आदेश

संख्या 10/2016/222/52-1-16-01(10)/14

प्रेषक,

मो०शफ़कत कमाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी, 2016

विषय- 12 वीं पंचवर्षीय योजना में दिनांक 22.08.2013 को 69वीं इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड- बलियाखेड़ी, देवबन्द एवं नागलपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में 100 बेड के बालिका छात्रावास का निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-जी०आई० 182/52-1-16-01(10)/14, दिनांक 25.08.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित परियोजनाओं के लिए कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को कार्यदायी संस्था हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू० 187.50 लाख (रू० एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति के आदेश के पृष्ठ-4 के प्रस्तर-16 में यह अंकित किया गया था कि :-

"यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस- 2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।"

3- सम्प्रति उक्त पृष्ठ-4 के प्रस्तर-16 को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।"

http://shasanadesh.up.nic.in

4- तदनुसार शासन के पत्र संख्या- जी०आई० 182/52-1-16-01(10)/14, दिनांक 25.08.2015 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

5- शासनादेश दिनांक 25.08.2015 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

(मो०शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

संख्या- 222(1)/बावन-1-2016तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
7- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** ।
8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सहारनपुर।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।
11- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in